XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व अपील वाद संख्या–94/2005
धारा–48 (F) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत

1. नरेश मंडल
2. अर्जुन मंडल

दोनों के पिता–स्व0 बासुदेव मंडल

साकिन–बभन चक्का, थाना–भवानीपुर, जिला– पूर्णियाँ ..... आवेदक

बनाम

1. उमा देवी, पति–शैलेन्द्र कुमार सिंह
2. अनीता देवी, पिता–शैलेन्द्र कुमार सिंह

साकिन–ब्रहमज्ञानी, थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ ..... विपक्षी

आ दे श

आवेदकगण भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–32/1998 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक मौजा–बेला प्रसादी, थाना नं0–267, खाता नं0–81, खेसरा नं0–416, रकवा–60 डिसमिल एवं खाता नं0–283, खेसरा नं0–456, रकवा–25 डिसमिल कुल रकवा–85 डिसमिल जमीन पर बटाई हक के लिये भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा के न्यायालय में वाद संख्या–32/1998 दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा समझौता बोर्ड का भी गठन किया गया। तदुपरान्त सुनवाई के पश्चात वाद को खारिज कर दिया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित सम्पूर्ण आदेश नियमानुकूल नहीं है। आवेदक का कथन है कि स्व0 बबुजन मंडल बहुत बड़े जमीन्दार थे और भू–हदबन्दी के कारण बहुत सारे जमीन विभिन्न रिस्तेदारों के नाम रखे थे। विपक्षी संख्या–1 एवं 2 दोनों माता एवं पुत्री है। विपक्षी संख्या–1 ने वर्ष 1962 में प्रश्नगत जमीन विपक्षी संख्या–2 को दान में दे दी। वर्ष 1963 ई0 में आवेदक के पिता विपक्षी संख्या–1 के पिता से बटाई पर लिये थे और उस समय आवेदक के पिता एवं उनके मृत्यु के बाद आवेदकगण खेती करते आ रहे है। वर्ष 2004 में निम्न न्यायालय में अधिवक्ता के हड़ताल पर रहने के कारण आवेदक अपना गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रश्नगत जमीन के विवाद के कारण कई बार विपक्षी की ओर से भवानीपुर थाना में झूठा मुकदमा भी दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी कभी स्थल जाँच नहीं किया गया। इस प्रकार सभी प्रकियाओं को नजर अन्दाज कर निम्न न्यायालय द्वारा वाद को खारिज कर दिया गया, जो नियम के विपरित है। अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि वाद की सुनवाई कर आवेदक को बटाईदार घोषित करने की कृपा की जाय।

मध्यपक्षी महंथ मंडल, पिता–स्व0 योगी मंडल, साकिन–बभन चक्का, थाना–भवानीपुर, जिला–पूर्णियाँ का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

योग्य नहीं है। आवेदक ने निम्न न्यायालय में झूठा मुकदमा दायर किया है क्योंकि प्रश्नगत जमीन के खाता नं0–81, खेसरा नं0–416, रकवा–68 डिसमिल जमीन का सिकमी बटाईदार मध्यपक्षी है और उसी के जोत–आबाद में यह जमीन है। उपरोक्त जमीन पर वाद संख्या–72/2005–06
188/2008–09 में अनुमंडल पदाधिकारी–सह–भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, धमदाहा ने दिनांक 19.01.2008 को धारा–48 (E) B.T. Act अन्तर्गत मध्यपक्षी को बटाईदार घोषित किया है। एक ही जमीन पर दो बटाईदार संभव नहीं है। अतः मध्यपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

विपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

दिनांक 23.09.2011 को श्रीमती रम्भा देवी एवं 18 अन्य व्यक्तियों के द्वारा मध्यपक्षी आवेदन समर्पित करते हुए इसे स्वीकार करने की मांग की गयी। आवेदक के द्वारा इसे खारिज करने की मांग की गयी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मध्यपक्षी आवेदन को स्वीकार किया गया एवं मध्यपक्षी को आदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर अपने प्रत्युत्तर न्यायालय में दायर करते हुए एक प्रति आवेदक को भी दें।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 18.05.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि स्पष्ट रूप से नोटिश के तामिला होने के बाबजूद भी विपक्षी अनुपस्थित है। पूर्व में भी उनके अनुपस्थित को देखते हुए अंतिम मौका उन्हें दिया गया था।

आवेदक का यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा बटाईदारी मामले समझौता बोर्ड को भेजा गया था, परन्तु समय पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण इसे वापस ले लिया गया। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा समझौता हेतु कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया एवं स्थल निरीक्षण भी हुंआ नहीं। आवेदक अभी भी बटाईदार है एवं जमीन पर वास्तव में खेती कर रहे है। इसके बाबजूद भी इन सभी बातों को नजर अन्दाज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया, जो गलत है। उनके द्वारा इस वाद को पुनः निम्न न्यायालय को भेजते हुए समझौता बोर्ड/सुनवाई कर विधिवत आदेश पारित करने की मांग की गयी।

मध्यपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वे पूर्व से ही अंचलाधिकारी के न्यायालय से धारा–48 (D) B.T. Act के अधीन कायमी रैयत प्राप्त बटाईदार है। इस कारण से आवेदक का यह दावा गलत है एवं स्वीकार योग्य नहीं है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि धारा–48 (D) वाद में अंचलाधिकारी के द्वारा एवं धारा–48 (E) B.T. Act वाद में भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के द्वारा स्पष्ट रूप से उनका दखल–कब्जा पाया गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट है कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/5/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30/5/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ